108

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1744-एक/2014 - विरूद्ध आदेश दिनांक 27-5-14 - पारित द्वारा - नायव तहसीलदार विदिशा - प्रकरण कमांक 86-अ-6/2007-08

नीटूमल पुत्र स्वर्गीय हरीराम बलेचा
मेघदूत टाकीज के सामने
कागदीपुरा जिला विदिशा म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्ध

1- भगवान दास 2- हुकुमचंद
पुत्रगण स्व. सूरजमल बलेचा
3- बबली पुत्री सूरजमल बलेचा
4- धनवंती पत्नि स्व.सूरजमल
मृतक वारिस अना. 1 से 3
निवासीगण सिंधी कालोनी गंज बासोदा
5- भाउ पुत्र गुलाबराय
6- श्रीचंद भाउ पुत्र गुलाबराय
तिलक चौक तहसील व जिला विदिशा ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़)

(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित)

आ दे श

(आज दिनांक 17-2-2016 को पारित)

यह निगरानी नायव तहसीलदार विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 86-अ-6/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 27-5-2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि भगवानदास , हुकुमचंद ने तहसीलदार विदिशा को म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 110 के अंतर्गत कस्वा विदिशा स्थित कुल किता 3 कुल रकबा 3.135 हैक्टर पर बसीयत के आधार पर नामान्तरण की मांग की। सुनवाई के दरम्यान आवेदक ने दिनांक 25-2-14 को आपत्ति प्रस्तुत की। तथा बसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण किये जाने हेतु आवेदन भी दिया। नायव तहसीलदार विदिशा ने आपत्ति आवेदन पर उभय पक्ष को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 27-5-14 पारित किया तथा आपत्तिकर्ता की आपत्ति निरस्त करते हुये निर्णय लिया कि व्यवहार न्यायालय व्दारा वाद विचारित भूमि मे आपत्तिकर्ता के स्वत्व नहीं मानने से वह नामान्तरण प्रकरण में पक्षकार नहीं हो सकता, केवल आपत्ति पेश कर सकता है तथा आपत्तिकर्ता व्दारा विलम्ब से पेश बसीयतनामा दिनांक 20.4.07 के आधार पर नामान्तरण हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया तथा प्रकरण अन्य पक्षकारों की सुनवाई हेतु आगामी तिथी के लिये नियत किया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि मान. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.6.13 से तहसीलदार की नामान्तरण कार्यवाही पर स्थगन था एंव स्थगन समाप्त होने के उपरांत पुनः कार्यवाही प्रारंभ हुई एंव आवेदक व्दारा आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा प्रथक से आवेदन देकर बसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण चाहा गया। इस आवेदन पर इस्तहार जारी

नहीं किया और न ही अनावेदक कमांक 1 से 6 ने कोई उत्तर प्रस्तुत किया। पटवारी से भी रिपोर्ट नहीं मॅगाई गई । मात्र प्रारंभिक बहस सुनकर आपत्ति एंव नामान्तरण आवेदन निरस्त करने में त्रृटि की गई है। अनावेदकगण के अभिभाषक ने नायव तहसीलदार के आदेश को उचित बताते हुये प्रकरण में आवेदक को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना बताते हुये आवेदक व्दारा की गई निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव नायव तहसीलदार विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 86-अ-6/ 2007-08. में पारित आदेश दिनांक 27-5-2014 के अवलोकन पर पाया गया कि नायव तहसीलदार व्दारा व्यवहार न्यायालय एंव माननीय उच्च न्यायालय से प्रकरण निर्णीत होने के वाद एंव वादोक्त भूमि से आवेदक के हित जुड़े न होना पाकर आपत्ति आवेदन निरस्त किया है जिसके कारण उसे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है जब आवेदक का बसीयतनामा माननीय उच्च न्यायालय ने बैध नहीं माना है ऐसे बसीयतनामे के आधार पर आवेदक को नामान्तरण कराने की पात्रता न होना मानकर नायव तहसीलदार विदिशा द्वारा आदेश दिनांक 27-5-2014 से लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायव तहसीलदार विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 86-अ-6/ 2007-08 में पारित आदेश दिनांक 27-5-2014 उचित पाये जाने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर